न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS

राजस्व अपील सं0 20/2022 (GCMS 2018/00034)

अपीलांटगण	बनाम	रेस्पोडेण्टगण
1. बगडूराम पुत्र चैनाराम जाति विश्नोई 2. अर्जूनराम पुत्र रूगाराम जाति विश्नोई 3. अमृतलाल पुत्र हनुमानराम जाति विश्नोई सर्वे निवासीयान धोलिया तहसील पोकरण। 4. मीमाराम पुत्र मंगलाराम जाति विश्नोई निवासी खेतोलाई तहसील पोकरण।		1. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सी–38 सादुलगंज बीकानेर। 2. तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर।

अधिवक्ता :

1. श्री ए.आर. मेहर (अधिवक्ता अपीलांटगण)
2. श्री विमलेश कुमार पुरोहित (अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 01)
3. पैरोकार राज, नायब तहसीलदार (रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से)

–::निर्णय::–

दिनांक 22.12.2025

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेण्टस के विरूद्ध तहसीलदार, पोकरण के स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 642 दिनांक 26.07.2017 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण के नाम ग्राम पाबूपाड़िया बांकना पटवार हल्का पोकरण का नामान्तकरण संख्या 182 जरिये रजिस्ट्री दिनांक 21.01.2011 के चारों अपीलांटगण के नाम भरा गया जो खसरा नम्बर 832/2 रकबा 10 बीघा का भरा गया। उक्त भूमि पोकरण बाईपास के पास होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधिग्रहित की गई जिसमें से 02 बीघा 09 बिस्वा भूमि अधिग्रहित की कई। उक्त 02 बीघा 09 बिस्वा भूमि चारो अपीलांटगण के हिस्से में आने वाली भूमि में से अधिग्रहित की जानी थी, जो नहीं की जाकर अकेले बगडूराम के हिस्से की भूमि अधिग्रहित कर नामान्तरकरण संख्या 642 स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तकरण व अधिग्रहण कार्यवाही बिना नोटिस, बिना सूचना व एक तरफा की गयी। जिससे नैसर्गिक सिद्धांतो के प्रतिकुल नामान्तरकरण करने से आदेश अपास्त योग्य है। उक्त भूमि का नामान्तरकरण चारो खातेदारों के हिस्से की भूमि में से होना था जो नहीं कर अकेले अपीलान्ट संख्या 01 के हिस्से की भूमि का किया गया जो विधिक प्रावधानों के विपरित किया गया है। अपीलांट का कथन है कि उक्त नामान्तकरण विधि विधान न्याय सिद्धान्तों के प्रतिकुल है। अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार पोकरण द्वारा पारित नामान्तकरण आदेश 591–594 दिनांक 05.07.2017 व नामान्तकरण संख्या 642 को अपास्त करने व चारों अपीलांटगण के हिस्से की भूमि का नामान्तकरण किये जाने के संबंध में निवेदन किया गया है।

अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न कर निवेदन किया गया है कि अपीलांट को उक्त पारित नामान्तकरण की जानकारी होने तथा इसकी नकल प्राप्ति के पश्चात् कानूनी राय लेकर प्रस्तुत की गई है।। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। रेस्पोडेण्ट के द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। अतः अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाती है।

अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी भूमि थी, जिसका कोई बंटवारा नहीं किया गया है अतः सड़क मार्ग हेतु भूमि अवाप्ति चारों

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS

राजस्व अपील सं0 20/2022 (GCMS 2018/00034)

अपीलांट के हिस्से की भूमि से कम की जावें। अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 642 दिनांक 26.07.2017 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आलोच्य अपीलाधीन नामान्तकरण भूमि अवाप्ति अधिकारी के द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु जारी अवाप्ति आदेश में उक्त भूमि केवल अपीलांट बगडूराम की ही अवाप्त की गई है। शेष अपीलांट की भूमि अवाप्त नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में आलोच्य नामान्तकरण में कोई त्रुटि नहीं होने से रेस्पोडेण्ट द्वारा अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अपीलाधीन आलोच्य नामान्तकरण में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 08.10.2015 के द्वारा श्री बगडूराम की भूमि अवाप्त की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य नामान्तकरण में कोई त्रुटि किया जाना नहीं पाया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहसीलदार पोकरण द्वारा स्वीकृत आलोच्य नामान्तकरण यथावत रखा जाता है। उभयपक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

आदेश आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर,
जैसलमेर

जिला कलक्टर
जैसलमेर